न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–11/2020–21

साहेबधन मरांडी एवं अन्य
बनाम
भतन मरांडी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

04.03.2023

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता साहेबधन मराण्डी पिता–स्व0 ज्योतीन मराण्डी एवं अन्य 10 व्यक्तियों सभी का सा0–सालपतरा, थाना–अमड़ापाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पी0ए0 वाद सं0-28/2018-19 (साथ में पी0ए0 वाद सं0-25/2019-2020 संलग्न) में दिनांक 12.09.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) भतन मराण्डी पिता–स्व0 वड़का मराण्डी, सा0–सालपतरा, थाना–अमड़ापाड़ा, जिला–पाकुड़ एवं (2) अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा–सालपतरा के पूर्व नियुक्त ग्राम प्राधान प्रेम प्रकाश मराण्डी को इस न्यायालय द्वारा बर्खास्त करते हुए उक्त मौजा में ग्राम प्रधान की वहाली का निदेश निम्न न्यायालय को दिया गया। इस आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद सं0-28/2018-19 संस्थित किया गया। एक भतन मराण्डी द्वारा उक्त मौजा के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया जिसे पी0ए0 वाद सं0-25/2019-2020 के रूप में पंजीकृत किया गया। पी0ए0 वाद सं0-25/2019-2020 को पी0ए0 वाद सं0-28/2018-19 के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई। उक्त वाद में दिनांक 12.09.2020 को पारित आदेश द्वारा भतन मराण्डी (उत्तरवादी स0–01) को मौजा–सालपतरा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपील आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को सावधानीपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–सालपतरा एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अंतिम प्रधान प्रेम प्रकाश मराण्डी थे। अंतिम प्रधान प्रेम प्रकाश मराण्डी को उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय के R.M.A वाद सं0-15/2010-11 में दिनांक 26.09.2018 को पारित आदेश द्वारा बर्खास्त किया गया है। ग्राम प्रधान के बर्खास्त हो जाने के कारण मौजा खास हो गया एवं खास मौजा में ग्राम प्रधान की

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, संख्या और तारीख सहित
1	2	3

नियुक्ति 2/3 जमाबन्दी रैयतों की सहमति प्राप्त कर SPT Act 1949 की धारा 5 SPT Rule 1950 के नियम 3 के अनुसार किया जाना चाहिए। निम्न न्यायालय द्वारा न तो जमाबन्दी रैयतों की सूची प्राप्त किया गया न तो फार्म A में नोटिस किया गया और न ही 2/3 जमाबन्दी रैयतों की सहमति ली गई। केवल अंचल अधिकारी, के प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्ति कर दी गई जो विधि विरूद्ध है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा के अंतिम प्रधान के बर्खास्त होने के कारण उनका चयन ग्राम सभा के माध्यम से प्रधान पद हेतु किया गया। ग्रामीणों की पूर्ण सहमति उत्तरवादी स0–01 के साथ पक्ष में है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रश्नगत मौजा सालपतरा एक प्रधानी मौजा है। इस न्यायालय के R.M.A वाद सं0-15/2010-11 में दिनांक 26.09.2018 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत मौजा के अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश मराण्डी को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त प्रधान के उत्तराधिकारी अपना दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत मौजा में धारा 5 के तहत नियुक्ति किया जाना है। निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा धारा 5 एवं SPT Rule 1950 के नियम 3 का अनुपालन नहीं किया गया। न तो जमाबन्दी रैयतों की सूची प्राप्त की गई, न फार्म A में नोटिस निर्गत किया गया और न ही 2/3 जमाबन्दी रैयतों की सहमति (Consent) अपने समक्ष ली गई। निम्न न्यायालय को प्रधान की नियुति हेतु SPT Act 1949 की धारा 5 एवं 6 तथा SPT Rule 1950 के नियम 3 एवं सेडयूल V की जानकारी होनी चाहिए। निम्न न्यायालय के आदेश से प्रतीत होता है कि उन्हें इन प्रावधानों की कोई जानकारी नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में अत्यंत खराब है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रॉंची के WP(C) no.-5014/2008 (तपो देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक–14.06.2022 को पारित आदेश का अनुसरण कर SPT Act की धारा 5 के तहत

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

एक माह के अन्दर प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.04.27 15:15:09 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34cb:8006:3557:abab

Scanned with CamScanner